झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची आपराधिक विविध याचिका संख्या 1228/2022

गौरव महतो @गौरव कुमार महतो, आयु लगभग 26 वर्ष, पुत्र राजेश महतो, निवासी गाँव सुगियाडीह, महतो तोला, डाकघर एवं थाना सरायढेला, जिला धनबाद··· याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य

2. आशा महतो, पुत्री नेपाल महतो, निवासी गांव महतो बस्ती, सुगियाडीह, सरायढेला, पी डाकघर एवं थाना सरायढेला, जिला धनबाद ... विरोधी दल

याचिकाकर्ता के लिएः श्रीमान मुकेश बिहारी लाल, अधिवक्ता
श्रीमान राजीव कुमार करण,

राज्य के अधिवक्ताः श्रीमान सतीश प्रसाद, अतिरिक्त लोकअभियोजक
विरोधीदल संख्या 2 के लिए : श्रीमान शेखर प्रसाद सिन्हा, अधिवक्ता

उपस्थित

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायलय द्वारा : दोनों पक्षों को सुना

2. यह आपराधिक विविध याचिका आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत इस अदालत के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें 2019 के सरईधेला थाना मामले के एफ.आई.आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और दरकिनार करने का अनुरोध किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 323,376,511,336,379,341,34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दर्ज किया गया था, जो अब धनबाद में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है।।

3. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि पीड़ित एक गरीब महिला है और पीड़ित की गरीबी और कम उम्र का फायदा उठाते हुए, 05.04.2017 को याचिकाकर्ता ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जिसके लिए सरायधेला थाना केस नं। 2017 का 54 दर्ज किया गया था, लेकिन उक्त मामले में याचिकाकर्ता के बरी होने के बाद, याचिकाकर्ता उत्साहित हो गया और फिर 18.03.2018 को, याचिकाकर्ता ने शिकायतकर्ता को जबरन दूसरे कमरे में ले गया और फिर से उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास किया और उसे धमकी दी कि वह अपनी पिछली बलात्कार की घटना का खुलासा किसी को न करे। सह-अभियुक्त ने याचिकाकर्ता द्वारा पीड़िता के साथ बलात्कार के प्रयास की तस्वीर बनाई। पीड़िता किसी तरह खुद को बलात्कार से बचाने में कामयाब रही, लेकिन याचिकाकर्ता ने उसके बलात्कार के प्रयास का वीडियो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। धनबाद के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को शिकायत भेजी और उसी के आधार पर 2019 का सराइधेला थाना मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच चल रही है।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि वर्तमान मामला एक झूठा मामला है, जो याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाया गया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 2019 के *सरायढेला* थाना केस No.149 का एफ. आई. आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही, जो अब

धनबाद में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है, को दरकिनार कर रद्द कर दिया जाए|

5. राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त लोक अभियोजक और विरोधी पक्ष संख्या 2 के लिए विद्वान वकील ने दूसरी ओर 2019 के *सरायढेला* थाना केस संख्या 149 का एफ. आई. आर. सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने और अलग करने के लिए याचिकाकर्ता के अनुरोध का जोरदार विरोध किया जो अब धनबाद में विद्वत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित है और प्रस्तुत करता है कि याचिकाकर्ता का तर्क कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप गलत है, एक बचाव है जिसे याचिकाकर्ता मामले की सुनवाई के दौरान ले सकता है, लेकिन निश्चित रूप से वही पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता द्वारा अनुरोध किया गया था। इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह आपराधिक कार्यवाही बिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया जाए।

6. बार में की गई प्रतिद्वंद्वी दलीलों को सुनने के बाद और अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों को ध्यान से देखने के बाद, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए एक वैध अभियोजन को नहीं दबाना चाहिए जैसा कि भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **मोनिका कुमार (डॉ.) और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में (2008) 8 एससीसी 781** में रिपोर्ट किया गया है।

7. अब, मामले के तथ्यों पर आते हुए, यह याचिकाकर्ता का मामला नहीं है कि एफ. आई. आर. में उसके खिलाफ लगाए गए आरोप, यदि पूरी तरह से सही माने जाते हैं, तो याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाया जाता है, बल्कि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ सभी आरोप झूठे हैं। इसकी सच्चाई का निर्धारण केवल मामले के पूर्ण परीक्षण में ही किया जा सकता है और निश्चित रूप से एफ. आई. आर. में लगाए गए आरोपों की सच्चाई,आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति के प्रयोग में इस प्रारंभिक चरण में निर्णय के लिए खुली नहीं है।

8. तदनुसार, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के, खारिज कर दिया जाता है।

9. तत्काल आपराधिक विविध याचिका के निपटान को ध्यान में रखते हुए, 2024 का अंतर्वर्ती आवेदन संख्या 2621, निष्फल होने के कारण निपटाया गया है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 12 अप्रैल 2024
ए.एफ.आर/ अनिमेष-सरोज

यह अनुवाद पियूष आनंद, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया है|